भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1715

06 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) का सामना करना तथा रोग निगरानी को बढ़ाना

1715. श्री एस. निरंजन रेडी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा क्या इसके लिए कोई अद्यतन राष्ट्रीय कार्य योजना या कार्यनीति है;

(ख) ग्रामीण तथा वंचित क्षेत्रों में रोग निगरानी प्रणाली में सुधार के लिए क्या पहल की गई है;

(ग) क्या सरकार एएमआर से निपटने तथा रोग निगरानी प्रणाली को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एएमआर तथा संक्रामक रोगों का पता लगाने तथा उनके प्रबंधन में स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्रयोगशालाओं की क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या रोग निगरानी प्रणाली में सुधार तथा एएमआर के फैलने की निगरानी के लिए एआई तथा डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के लिए कई पहलें की हैं। इन पहलों में वर्ष 2010 में एएमआर रोकथाम पर एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011 में एएमआर रोकथाम पर राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। सरकार ने वर्ष 2013 में एएमआर रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- देश भर की प्रयोगशालाओं सहित राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क स्थापित किए गए हैं और वे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एएमआर निगरानी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वैश्विक एएमआर निगरानी प्रणाली (जीएलएएसएस) को आंकड़ें भी प्रस्तुत कर रहे हैं।
- रोगाणुरोधी दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग और हैंड हाइज़ीन तथा संक्रमण की रोकथाम पर जागरूकता सामग्री तैयार की गई है और इसे विभिन्न हितधारकों के साथ साझा किया गया है।
- संक्रमण की रोकथाम पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश दिए गए हैं और उनको प्रशिक्षण सामग्री में शामिल किया गया है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। राज्यों में प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है।
- रोगाणुरोधी दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, विशिष्ट परिचर्या अस्पतालों में रोगाणुरोधी उपयोग की निगरानी शुरू की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2017 में एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एएमआर) शुरू की थी जिसे एएमआर पर वैश्विक कार्य योजना के अनुरूप तैयार किया गया था। कार्य योजना का क्रियान्वयन विभिन्न हितधारक मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। एनएपी-एएमआर की अवधि 5 वर्ष के लिए थी।

वर्ष 2022 में एनएपी-एएमआर 2.0 के विकास के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय विशेषज्ञ परामर्श आयोजित किए गए:

- परामर्श सत्र मानव स्वास्थ्य क्षेत्र, अनुसंधान क्षेत्र, व्यावसायिक संघों और सिविल सोसाइटी संगठनों, पर्यावरण और पशुपालन क्षेत्रों के लिए आयोजित किए गए थे।
- प्रत्येक परामर्श सत्र में निजी क्षेत्र, तकनीकी संस्थानों, व्यावसायिक समूहों, उद्योग, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और अन्य प्रासंगिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों ने भाग लिया।
- इन परामर्श-सत्रों के उद्देश्यों में मौजूदा एनएपी-एएमआर और उससे आगे के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में एसडब्ल्यूओटी (सुदृढ़ता, कमजोरी, अवसर और खतरे) विश्लेषण करना और साथ ही प्रस्तावित एनएपी 2.0 की संरचना और सामग्री का प्रस्ताव करना और एनएपी 2.0 के तहत देश की एएमआर अनुसंधान नीति और अनुसंधान एजेंडे के आवश्यक तत्वों की सिफारिश करना शामिल था।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) देश में रोग निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आईडीएसपी को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह

कार्यक्रम 33 से अधिक महामारी संबंधी बीमारियों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। निगरानी उपकरण में उप-केंद्र स्तर पर सहायक नर्स और दाई (एएनएम) द्वारा भरा गया एस (सिंड्रोमिक) फॉर्म, स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भरा गया पी (प्रकल्पित) फॉर्म और मानक मामला निर्धारण के अनुसार प्रयोगशालाओं द्वारा भरा गया एल (प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि) फॉर्म शामिल है। प्रत्येक राज्य ने इन बीमारियों की जांच और निगरानी के लिए आईडीएसपी के तहत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (डीपीएचएल), राज्य रेफरल प्रयोगशालाओं (एसआरएल) जैसी प्रयोगशालाओं को नामित किया है।

वर्ष 2021 में, देश में रोग निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम को कागज़-आधारित, समग्र, साप्ताहिक रिपोर्टिंग से कागज़ रहित, केस आधारित, लगभग वास्तविक समय रिपोर्टिंग में अंतरित कर दिया गया है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफ़ॉर्म (आईएचआईपी) के माध्यम से, जहाँ सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आईएचआईपी एक सूचना प्लेटफ़ॉर्म है जो निर्णयकर्ताओं को उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई करने के लिए पूरे भारत से स्वास्थ्य निगरानी पर लगभग वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न "रजिस्ट्री" से आंकड़ें एकीकृत करता है। आईएचआईपी अनुमानित भू-स्थानिक विश्लेषण के लिए प्रकोपों में रिपोर्ट किए गए व्यक्तिगत मामलों की जियोटैगिंग प्रदान करता है, साथ ही हीट मैप भी प्रदान करता है।

आईडीएसपी घटना-आधारित निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मीडिया स्कैनिंग और सत्यापन करता है। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाने और संभावित प्रकोपों के समय पर प्रबंधन के लिए अलर्ट उत्पन्न करने के लिए मीडिया स्कैनिंग और सत्यापन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के माध्यम से एएमआर से निपटने और रोग निगरानी बढ़ाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/देशों के साथ सहयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/देशों के साथ सहयोग का विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

एनसीडीसी राष्ट्रीय एएमआर निगरानी नेटवर्क का समन्वय कर रहा है जिसके तहत राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों/प्रयोगशालाओं को एएमआर निगरानी और नियंत्रण के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है। ऑफ़लाइन सॉफ़्टवेयर डब्ल्यूएचओएनईटी का उपयोग करके एएमआर डेटा प्रबंधन के लिए वर्षभर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। विशेष प्रयोगशाला परीक्षण प्रक्रियाओं पर क्षमता निर्माण भी किया जाता है। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

अनुलग्नक

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) का सामना करने और रोग निगरानी बढ़ाने के संबंध में दिनांक 06.08.2024 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1715 के उत्तर भाग (क) से (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक:

- भारत-अमेरिका रोग सहयोग केंद्र (सीडीसी) ने एएमआर निगरानी कार्यकलापों, एएमआर निगरानी और आंकड़ों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के विकास, डब्ल्यूएचओएनईटी सॉफ्टवेयर के उपयोग, पूरे नेटवर्क में जीवाणु विज्ञान परीक्षण प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए ईसीएचओ प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। सीडीसी ने एचएआई निगरानी के लिए आईसीएमआर-एम्स परियोजना में भी सहायता की है। **यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट** (यूएसएआईडी) के साथ सहयोग 6 राज्यों में एएमआर नियंत्रण को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
- भारत-नीदरलैंड सहयोग के तहत, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण के साथ एकीकृत एएमआर निगरानी पर पायलट परियोजना संचालित की गई।
- ब्रिटेन के फ्लेमिंग फंड चरण 1 अनुदान, जिसके लिए डब्ल्यूएचओ इंडिया कार्यान्वयन साझेदार था, ने आईपीसी पर प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण और देश में 3 राज्य एएमआर निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ करने और विशिष्ट परिचर्या अस्पतालों में एंटीबायोटिक उपयोग पर स्थिति (प्वाइंट) व्यापकता सर्वेक्षण में सहायता की है।
- भारत-डेमार्क सहयोग के तहत, भारत ने हाल ही में एएमआर पर तकनीकी सहयोग के लिए कार्ययोजना तैयार की है।

*****